क्रम संख्या–192 (ग) पंजीकरण संख्या–यू०ए० / डी०ओ० / डी०डी०एन० / 30 / 2015–17

U.P.G.O.order.com

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 19 दिसम्बर, 2016 ई०

अग्रहायण 28, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 386 / XXXVI (3) / 2016 / 77(1) / 2016

देहरादून, 19 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2016"** पर दिनांक 09 दिसम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 38 वर्ष, 2016 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड साहूकारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2016

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 38, वर्ष 2016)

उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) उत्तराखण्ड राज्य के परिपेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड साहूकारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 11 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 निरसित समझी जायेगी।

धारा 22 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 22 में उल्लिखित शब्द "या धारा 11" को विलोपित कर दिया समझा जायेगा।

धारा 26 का संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 26 के पार्श्व शीर्षक में आये शब्द "और जमा" तथा उपधारा (2) से शब्द "और उसके पास जमा धनराशि ब्यौरा" विलोपित कर दिया समझा जायेगा।

आज्ञा से,

आर0सी0 खुल्बे,

प्रमुख सचिव।

No. 386/XXXVI(3)/2016/77(1)/2016
Dated Dehradun, December 19, 2016

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'the Uttarakhand Regulation of Money-lending Regulation (Amendment) Bill, 2016'** (Adhiniyam Sankhya 38 of 2016).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 09 December, 2016.

THE UTTARAKHAND REGULATION OF MONEY-LENDING REGULATION (AMENDMENT) ACT, 2016

(Uttarakhand Act no. 38 of 2016)

Enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Sixty-seventh Year of the Republic of India follows :-

An

Act

further to amend the Uttarpradesh Regulation of Money-lending Act, 1976 (as applicable to the State of Uttarakhand) to the context of the State of Uttrakhand.

Short title, Commencement and extent

1- (1) This Act may be called the Uttarakhand Regulation of Money-lending (Amendment) Act, 2016.

(2) It shall be extended to whole of the State of Uttarakhand.

(3) It shall come into force at once.

Amendment of section 11 2- Section 11 of the Uttarpradesh Regulation of Money Lending Act, 1976 (here in after referred as Principle Act) shall be deemed repealed.

Amendment of section 22 3- Section 22 of the Principle Act, the words and figure " or section 11" shall be deemed omitted.

Amendment of section 26 4- In section 26 of Priniciple Act, the words "and deposit" and the word in subsection 2 The words "and deposit occuring in marginal heading of section 26 of the principle Act and the words occuring in sub section (2) "and of deposits made with him" shall be deemed omitted.

By Order,

R.C. KHULBE,
Principal Secretary.

कारण एवं उद्देश्य

यू.पी.आर.एम.एल. अधिनियम के अन्तर्गत 'साहूकारिता' के कारोबार' का अर्थ ऋणों के अग्रिम कारोबार से है एवं साहूकार का तात्पर्य इस प्रकार के व्यक्ति से है जिसके द्वारा साहूकारिता का कारोबार किया जा रहा हो। इस प्रकार की साहूकार की गतिविधियों में सार्वजनिक जमा समविष्ट नहीं है। इसी प्रकार यू.पी.आर.एम.एल. अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण–पत्र उधार के कारोबार के लिये दिया जाता है और इसमें सार्वजनिक जमा सम्मिलित नहीं है।

आर.बी.ई अधिनियम के अध्याय–III B(धारा–45 IA) एवं अध्याय III-C(45-5) के अन्तर्गत कम्पनी एवं तत्सम्बन्धी अधिनियमों में सार्वजनिक जमा को विनियमित एवं निषेधात्मक प्राविधान किये गये हैं।

यू.पी.आर.एम.एल. अधिनियम की धारा 11 के प्राविधान आर.बी.आई. ऐक्ट के प्राविधानों से असंगत है एवं अनपेक्षित परिणाम भी हो सकते हैं। इस प्रकार से विलोपन केन्द्रीय एवं राज्य अधिनियम के अन्तर्गत अनपेक्षित विरोधाभास को दूर करने का प्रस्ताव है।

2– प्रस्तावित विधेयक उक्त उदेश्यक की पूर्ति करता है।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 44 विधायी/631–2016–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।